प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR rates from 01.07.2012 @ 72% to Jharkhand pensioners

Ref:- 1.Principal Accountant General, (A&E) Jharkhand No Pen III/DR/-Jharkhand/SSA191/2012-13/6339 dt 06.12.2012
2. Jharkhand Government, Finance Department No 6A(DR)-03/092317 DT 25.10.2012.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in) You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To

Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2012-13/ 6339 Dated:- 06-12-12

**UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.** 121 **/2012-13**

To,

The

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad | 500463 |
| 2. | Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun | 791110 |
| 3. | Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati | 781029 |
| 4. | Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna | 800001 |
| 5. | Accountant General (A&E),Chatisgarh,12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road,Fafadih, Raipur | 492009 |
| 6. | Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa | 403101 |
| 7. | Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad | 380009 |
| 8. | Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh | 160047 |
| 9. | Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla | 171003 |
| 10. | Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar | 190009 |
| 11. | Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. : Bangalore | 560001 |
| 12. | Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram | 695039 |
| 13. | Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior | 474002 |
| 14. | Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai | 400020 |
| 15. | Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur | 440001 |
| 16. | Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal | 795001 |
| 17. | Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong | 793001 |
| 18. | Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl | 796001 |
| 19. | Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima | 797001 |
| 20. | Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar | 751001 |
| 21. | Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh | 160017 |
| 22. | Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur | 302005 |
| 23. | Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok | 737102 |
| 24. | Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai | 600018 |
| 25. | Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala | 799006 |
| 26. | Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad | 211001 |
| 27. | Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun | 248171 |

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745
E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| 28. | Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata | 700001 |
| 29. | Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry | 605001 |
| 30. | Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi | 110007 |
| 31. | Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi | 110124 |
| 32. | Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi | 110021 |

**Subject:-Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2012 (Enhanced from 65% to 72%).**

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department **L. No.वि. प्र. 6 ए (म. भ.)-03/09-2317/वि.dated 25-10-2012** on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

**Yours faithfully**

**Encl:-As stated above.**

**Sr. Accounts Officer/Pen-III**
**Jharkhand, Ranchi**

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)-03/09-2317/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक--25-10-12

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2012 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए॰)(बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाऐं सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या–42/13/2012 पी॰ एण्ड पी॰ डब्लू॰ (जी॰) दिनांक 04.10.2012 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से 65% (पैंसठ प्रतिशत) से बढ़ाकर 72% (बहत्तर प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.07.2012 के प्रभाव से महँगाई राहत 65% (पैंसठ प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 72% (बहत्तर प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम–344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना

महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि भुगतान करेंगें। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जायें।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 01 जुलाई, 2012 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

**आदेश :** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, रांची को प्रेषित किया जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09 2317/वि0 राँची, दिनांक 25-10-12

**प्रतिलिपि** : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में करें और राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा–5 को उपलब्ध करावें।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09 2317/वि0 राँची, दिनांक 25-10-12

**प्रतिलिपि** : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09–2317/वि0 राँची, दिनांक 25-10-12

**प्रतिलिपि** : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी/वित्त विभाग (पेंशन शाखा) सहित वित्त विभाग के सभी प्रशाखा/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09–2317/वि0 राँची, दिनांक 25-10-12

**प्रतिलिपि** : महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में महँगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰म॰)–03/09–2317/वि0 राँची, दिनांक 25-10-12

**प्रतिलिपि** : उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

29/10/12
Pension-1
L-26784

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
30 OCT 2012
Ranchi - 834002